SRN : LUC/03356/2023-2024 Dated 21/08/2023

सेक्टर 25 इन्दिरा नगर
रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन

RESIDENT WELFARE ASSOCIATION
RWA25IN
Sector-25, Indira Nagar, Lucknow

अध्यक्ष:
डा0 संतोष कुमार श्रीवास्तव
(9450448812)
उपाध्यक्ष:
डा0 अशोक कुमार सिंह
(9919254495)
उपाध्यक्ष:
श्रीमती सुनीता जिन्दल
(9451408260)
उपाध्यक्ष:
श्रीमती सरिता शर्मा
(8853264166)
सचिव:
श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल
(9415020720)
कोषाध्यक्ष:
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
(8887604899)

सदस्य:
श्री महेश जायसवाल
(9453237539)
श्रीमती स्मिता सिंह
(9451950082)
श्री ए0 के0 त्रिपाठी
(9792989222)
श्री श्याम बिहारी
(7905249394)
श्री नटवर लाल खरे
(8004803303)

27 NOV 2025

सेवा में,
श्रीमान अवर अभियंता
नगर निगम, जोन–7
लखनऊ 226016 |

विषय: दिनांक 26.11.2025 के नोटिस संख्या 39, बुक संख्या 74 के संबंध में— तथ्यपरक, विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रस्तारवार उत्तर तथा नोटिस निरस्तीकरण हेतु निवेदन।

सविनय निवेदन है कि सेक्टर–25, इन्दिरा नगर रेज़िडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ को उपरोक्त नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें बिना किसी आधार, तथ्य और विधिक परीक्षण के सेक्टर में स्थापित सुरक्षा–गेटों को हटाने का निर्देश दिया गया है। यह नोटिस न केवल वास्तविक स्थिति के विपरीत है, बल्कि अपूर्ण, भ्रामक एवं एक–तरफ़ा जानकारी पर आधारित है।

अतएव सच्चाई, तथ्यों व विधिक स्थिति को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तारवार प्रतिवेदन आपके विचारण हेतु निम्नवत प्रस्तुत है—

1. आरडब्ल्यूए—पूर्णतः विधिसम्मत, मान्य एवं पंजीकृत संस्था
सेक्टर–25 इन्दिरा नगर में कुल 151 मकान/अपार्टमेंट हैं तथा लगभग 400+ निवासी विधिवत गठित रेज़िडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं। आरडब्ल्यूए पंजीकरण संख्या—LUC/03356/2023-2024 (दिनांक 21.08.2023) — अनुलग्नक - 1 संलग्न है। अतः किसी भी सामुदायिक संरचना/व्यवस्था पर निर्णय करने हेतु आरडब्ल्यूए को वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

2. सेक्टर–25—पूरी तरह आवासीय एवं सीमित परिसीमन वाला क्षेत्र
सेक्टर–25 में कोई भी मुख्य मार्ग / राजमार्ग, अस्पताल / स्कूल / महाविद्यालय / सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक पार्क या खुला क्षेत्र नहीं है। यह पूर्णतः बंद, आंतरिक एवं केवल आवासीय कॉलोनी है, जहाँ सुरक्षा–व्यवस्था एवं शांति पूर्ण आवास ही मूलभूत आवश्यकता है।

(K.P. Sharma) 25/100 9119321097
Harsh 25/19 7985329072
RP GUPTA (R.P. Gupta) 25/20 9936424662
सचिव
Pankaj Srivastava 25/21 8115779434
25/38
K Singh (Kamod Singh) 25/33
(Subhash Chandra Yadav) 25/34

अध्यक्ष:
डा0 संतोष कुमार श्रीवास्तव
(9450448812)
उपाध्यक्ष:
डा0 अशोक कुमार सिंह
(9919254495)
उपाध्यक्ष:
श्रीमती सुनीता जिन्दल
(9451408260)
उपाध्यक्ष:
श्रीमती सरिता शर्मा
(8853264166)
सचिव:
श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल
(9415020720)
कोषाध्यक्ष:
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
(8887604899)

सदस्य:
श्री महेश जायसवाल
(9453237539)
श्रीमती स्मिता सिंह
(9451950082)
श्री ए0 के0 त्रिपाठी
(9792989222)
श्री श्याम बिहारी
(7905249394)
श्री नटवर लाल खरे
(8004803303)

3. संबंधित सेक्टर 25 लगभग विगत 40 वर्षों से उपेक्षित क्षेत्र है—वस्तुतः क्षेत्र वासियों द्वारा नगर निगम को अनेक शिकायतें प्रेषित करने के बावजूद शून्य कार्यवाही की गई हैं | उदाहरणार्थ
स्वर्ण जयंती स्मृति विहार पार्क के कोने (मकान संख्या 25/3G के सामने) से लेकर क्षेत्रीय आयुर्वेद नेत्र रोग अनुसंधान संस्थान (शेयरवुड स्कूल) के पीछे नगर निगम की खुली भूमि पर अवैध डेयरियाँ, अतिक्रमण, अस्वच्छता, गंभीर दुर्गंध, अवैध गतिविधियाँ लगातार संचालित हैं। उल्लेखनीय है आप द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान उक्त अनियमितता को न संज्ञान में लिया गया न ही इसके निराकरण के बाबत कोई नोटिस ही जारी की गयी है।

दिनांक 14.10.2025 को नगर आयुक्त को तथा 02.11.2025 को थाना गाज़ीपुर को शिकायतें भेजी गईं आज तक कोई कार्रवाई नहीं। केवल और केवल कागजी कार्यवाही प्रचलित है जिसके संबंध मे सहायक पुलिस आयुक्त, गाजीपुर लखनऊ की आख्या दिनांकित 23.11.2025 तथा पत्र दिनांकित 14.10.2025 एवं 02.11.2025 की प्रति आपके अवलोकनार्थ अनुलग्नक-2 संलग्न है | इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक समस्या की अनदेखी कर केवल गेट जैसे गैर-समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

4. पाँच वर्षों से निरंतर निवेदन—न कोई विकास, न समाधान
लखनऊ नगर निगम से बार-बार अनुरोध के बावजूदः न डेयरी हटाई गई, न अतिक्रमण रोका गया, न क्षेत्र सुधार हुआ। परंतु अचानक केवल गेटों पर कार्रवाई—यह प्रशासनिक क्षमता एवं समझ पर गंभीर प्रश्न उठाता है।

5. अवैध डेयरियों पर शून्य कार्यवाही—नोटिस की निष्पक्षता संदिग्ध
माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश स्पष्ट हैं कि शहरी क्षेत्रों में अवैध डेयरियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। फिर भी सेक्टर-25 में हर नियम का खुला उल्लंघन जारी है और नगर निगम मौन है। ऐसे में केवल गेटों को निशाना बनाया जाना निष्पक्षता, विवेकशीलता और उद्देश्य पर गंभीर शंका उत्पन्न करता है।

6. गेट—सभी निवासियों की सर्व-सहमति से, पूर्णतः कानूनी मानकों के अनुसार लगाए गए

सचिव
सेक्टर 25 इन्दिरा नगर रेजिडेन्स वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ

M L Gupta (ML GUPTA) 25/22, 9415762480
Arun 25/24 9920170810
Indra Saxena 25/23 9838988999
Mahesh Jaiswal 25/27 9935638364 (Mahesh Jaiswal) 25/33
25/28 9956417247
Ravi Srivastava (Shakti Singh) 25/35 9044944663
9453237539

अध्यक्ष:
डा0 संतोष कुमार श्रीवास्तव
(9450448812)
उपाध्यक्ष:
डा0 अशोक कुमार सिंह
(9919254495)
उपाध्यक्ष:
श्रीमती सुनीता जिन्दल
(9451408260)
उपाध्यक्ष:
श्रीमती सरिता शर्मा
(8853264166)
सचिव:
श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल
(9415020720)
कोषाध्यक्ष:
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
(8887604899)

सदस्य:
श्री महेश जायसवाल
(9453237539)
श्रीमती स्मिता सिंह
(9451950082)
श्री ए0 के0 त्रिपाठी
(9792989222)
श्री श्याम बिहारी
(7905249394)
श्री नटवर लाल खरे
(8004803303)

सेक्टर–25 के आंतरिक मार्गों पर कुल 8 सुरक्षा गेट - 100% निवासियों की सहमति से, बिना एक इंच सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध किए, बिना किसी सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किए, सुव्यवस्थित, पंजीकृत सुरक्षा एजेंसी द्वारा 24×7 संचालित, स्थापित किए गए हैं। यह व्यवस्था सामुदायिक सुरक्षा के मानक उदाहरण के रूप में लखनऊ के अन्य सेक्टरों / कॉलोनी में भी अपनाई जा रही है।

7. आपात/आगंतुक सेवाएँ—पूरी तरह निर्बाध

गेट संचालन व्यवस्था में— एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, घरेलू सहायिकाएँ, कर्मचारी, फेरीवाले, आगंतुक आदि सभी को प्रवेश दिया जाता है। केवल पहचान दर्ज करना सुरक्षा प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है—जो पूर्णतः वैधानिक है।

8. उच्चतम/उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गेट संचालन

आरडब्ल्यूए द्वारा अपनाई जा रही व्यवस्था— CCTV निगरानी, 24 घंटे प्रशिक्षित गार्ड, 24 घंटे प्रशिक्षित गार्ड की उपसतिथी मे गेट संचालित, पूरी तरह उन मानदंडों के अनुरूप है जो न्यायालयों ने आरडब्ल्यूए-प्रबंधित कॉलोनियों के लिए निर्धारित किए हैं। अतः किसी भी प्रकार की अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्पष्ट है कि गेट हटने पर सुरक्षा, शांति व सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी।

9. नोटिस में तथ्यात्मक त्रुटि—पहले 'गार्डन' लिखा, फिर काटकर 'गेट'

निरीक्षण रिपोर्ट में "गार्डन" शब्द लिखकर बाद में काटकर "गेट" लिखा जाना— निरीक्षण की विश्वसनीयता, नोटिस की वस्तुनिष्ठता, तथा तथ्यों के सत्यापन पर गंभीर प्रश्न उठाता है। यह स्पष्ट करता है कि नोटिस पूर्ण तथ्यों की जाँच किए बिना जल्दबाजी में जारी किया गया।

10. यदि गेट हटाए गए तो सुरक्षा जोखिम की पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम की होगी

गेट हटाने की किसी भी कार्रवाई के पश्चात यदि— चोरी/डकैती, महिला सुरक्षा से जुड़ी घटना, सांप्रदायिक तनाव, अवैध डेयरियों की वृद्धि, जानवरों द्वारा हमले/हानि, कोई भी घटना घटती है, तो इसकी पूर्ण कानूनी, नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी नगर निगम एवं संबंधित अधिकारियों की होगी।

सचिव
सेक्टर 25 इन्दिरा नगर रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ

Singh Uniyal (G.C. Uniyal) 25/39 9839098545
(Namita Singh) 25/41 7376449998
पुरुषोत्तम कुमार (Purshottam Kumar) 25/42 9936545653
(Aman Tewari) 25/54 8795703937

सेक्टर 25 इन्दिरा नगर
रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन

RESIDENT WELFARE ASSOCIATION
RWA25IN
Sector-25, Indira Nagar, Lucknow

अध्यक्ष:
डा0 संतोष कुमार श्रीवास्तव
(9450448812)

उपाध्यक्ष:
डा0 अशोक कुमार सिंह
(9919254495)

उपाध्यक्ष:
श्रीमती सुनीता जिन्दल
(9451408260)

उपाध्यक्ष:
श्रीमती सरिता शर्मा
(8853264166)

सचिव:
श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल
(9415020720)

कोषाध्यक्ष:
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
(8887604899)

सदस्य:
श्री महेश जायसवाल
(9453237539)
श्रीमती स्मिता सिंह
(9451950082)
श्री ए0 के0 त्रिपाठी
(9792989222)
श्री श्याम बिहारी
(7905249394)
श्री नटवर लाल खरे
(8004803303)

अंतिम निवेदन उपरोक्त सभी तथ्यों से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि– कोई अतिक्रमण नहीं है, और न कोई मार्ग–अवरोध ही है। कोई अवैध निर्माण नहीं, गेट पूर्णतः विधिसम्मत, आवश्यक एवं सर्व–सहमति से स्थापित एवं संचालित हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं निवेदन के आलोक में प्रश्नगत नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होगा। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं निवेदन के आलोक में प्रश्नगत नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए ताकि जनता का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।

पुनः यदि नगर निगम को संचालन संबंधी कोई सुझाव/आपत्ति हो तो आरडब्ल्यूए पूर्ण सहयोग हेतु तत्पर है। साथ ही पूर्ण विश्वास है कि श्रीमान जी इस निवेदन पत्र में पूर्व इंगित आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध पशु डेयरी का संज्ञान लेते हुए अविलंब आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध पशु डेयरी को स्थानांतरित करने हेतु, साथ ही स्थायी समाधान हेतु स्वर्ण जयंती स्मृति विहार पार्क के कोने (मकान संख्या 25/3G के सामने) से लेकर क्षेत्रीय आयुर्वेद नेत्र रोग अनुसंधान संस्थान (शेयरवुड स्कूल) तक Boundary Wall के निर्माण हेतु समुचित आदेश, निर्देश एवं कार्यवाही करेंगें।

प्रतिलिपि:

1. श्रीमान नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

सादर,

निवासीगण सेक्टर–25, इन्दिरा नगर रेज़िडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ

सचिव

कार्यालय: 25/2G, सेक्टर-25, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016 | ई-मेल: rwain25lucknow@gmail.com

SRN : LUC/03356/2023-2024 Dated 21/08/2023

सेक्टर 25 इन्दिरा नगर
रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन

RESIDENT WELFARE ASSOCIATION
RWA25IN
Sector-25, Indira Nagar, Lucknow

अध्यक्ष:
डा0 संतोष कुमार श्रीवास्तव
(9450448812)

उपाध्यक्ष:
डा0 अशोक कुमार सिंह
(9919254495)

उपाध्यक्ष:
श्रीमती सुनीता जिन्दल
(9451408260)

उपाध्यक्ष:
श्रीमती सरिता शर्मा
(8853264166)

सचिव:
श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल
(9415020720)

कोषाध्यक्ष:
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
(8887604899)

सदस्य:
श्री महेश जायसवाल
(9453237539)
श्रीमती स्मिता सिंह
(9451950082)
श्री ए0 के0 त्रिपाठी
(9792989222)
श्री श्याम बिहारी
(7905249394)
श्री नटवर लाल खरे
(8004803303)

N.L.Khan
25/70
8004803303

आशा सिंह
(Asha Singh)
25/69
8765172034

Shobha Jain
(Shobha Jain)
25/68
8604756520

Pandey
(O.P. Pandey)
25/67
9628337965

(Phool Chandra)
25/65
9452266190

Mata Prasad
(Mata Prasad)
25/71
6394494530

(O.P. Mathur)
25/101/1

Sagar
(Sagar V Padhye)
25/101/2
9838166666

(Abhijit Sarkar)
25/101/8
9792200192

(Aparna Srivastava)
25/102/1
9120094100

(Vimal Kr. Srivastava)
25/102/5
9415662223

(Arpit Awasthi)
25/102/06
9519199993

(Ashok Srivastava)
25/102/03
8127161820

7219602474 Akhil Singh

9415039309
Rekha
25/107

(S.S. Negi)
25/104
7985779140

25/106
9305922206

S. Jindal
(Sunita Jindal)
25/105,
9451408260

(Sheela Singh)
25/103

SRN : LUC/03356/2023-2024 Dated 21/08/2023

सेक्टर 25 इन्दिरा नगर रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन

RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION RWA25IN Sector-25, Indira Nagar, Lucknow

अध्यक्ष:
डा0 संतोष कुमार श्रीवास्तव
(9450448812)

उपाध्यक्ष:
डा0 अशोक कुमार सिंह
(9919254495)

उपाध्यक्ष:
श्रीमती सुनीता जिन्दल
(9451408260)

उपाध्यक्ष:
श्रीमती सरिता शर्मा
(8853264166)

सचिव:
श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल
(9415020720)

कोषाध्यक्ष:
श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
(8887604899)

सदस्य:
श्री महेश जायसवाल
(9453237539)

श्रीमती स्मिता सिंह
(9451950082)

श्री ए0 के0 त्रिपाठी
(9792989222)

श्री श्याम बिहारी
(7905249394)

श्री नटवर लाल खरे
(8004803303)

K.P. Singh
(Dr. K.P. Singh)
25/8
9450114494

(B. C. Joshi)
25/9
9118951946

(Kamla Singh)
25/10
9793625904

(S. M. Mishra)
25/11
9670427743

Payal Puri
(Pankaj Puri)
25/97
9415425774

(R. S. Shukla)
25/13
6386003701

(Amit Singh)
25/96
7905662971

(A.K. Tripathi)
25/83,
9792989222

(Jai Prakash Mishra)
25/25, IndiraNagar Sector-25
9336667930/9307095089

कार्यालय: 25/2G, सेक्टर-25, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016 | ई-मेल: rwain25lucknow@gmail.com

नगर निगम, लखनऊ

सेवा में,

रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी

सं॰ 25 इन्दिरा नगर लखनऊ

दिनांक 26-11-25

क्रम. सं. ~~38~~ 39 बुक सं. 74

विषय :– सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस।

महोदय,

क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि आप द्वारा सरकारी सड़क ~~की पटरी पर किचेन गार्डे~~न बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है।
पर गेट लगा कर

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अतिक्रमण को तोड़कर हटाकर अद्योहस्ताक्षरी को तीन दिन के अन्दर सूचित करने का कष्ट करें अन्यथा आपके विरूद्ध नगर निगम की धारा 296/उ.प्र. नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम की धारा 97 की धारा 26क–1/26 क–3 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

अवर अभियन्ता

नगर निगम, जोन– (7)

लखनऊ

21. जांच का विश्लेषणात्मक निष्कर्ष एव संस्तुति- संदर्भित प्रकरण की जांच आख्या हेतु प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में उ0नि0 श्री आनन्द कुमार आख्या प्राप्त हुई। सम्बन्धित से प्राप्त आख्या के परिशीलन से पाया गया कि आवेदक श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल निवासी मकान नं0 25/1G, सेक्टर-25 इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों/आरोपों की जाँच द्वारा की गयी, जाँच के क्रम मे ज्ञात हुआ कि शेरवुड कालेज के पीछे कुकरैल नदी के किनारे सेक्टर 25, इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ में सिचाई विभाग/नगर निगम/सार्वजनिक भूमि पर नसरूद्दीन उर्फ नासिर उर्फ गद्दी पुत्र सिरदार उम्र करीब 41 वर्ष, निवासी हालपता शेरवुड कालेज के पीछे झोपड पट्टी सेक्टर 25 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूलपता ग्राम उमरिया, प्रा०पंचायत मुसपिपरी थाना महिगवा जनपद लखनऊ व अन्य लोगों द्वारा झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास कर सार्वजनिक रोड पर अतिक्रमण किया जा रहा है तथा यही पशुपालन किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा अपने पालतू जानवरों भैसों/गायों/ बकरियों को खुला छोड दिया जाता है, जिससे इनके पालतू जानवर आसपास की कालोनियों में विचरण करने लगती है तथा सड़क पर गोबर कर गन्दगी फैलाती है तथा कभी कभी हिंसक होकर आने जाने वाले लोगों पर हमला भी कर देती है। जिससे आम जन मानस को काफी कठिनाई हो रही है। जिस कारण कालोनीवासियों द्वारा श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल पुत्र स्व० राजीव अग्रवाल निवासी मकान न0 25/1G, सेक्टर-25 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र करीब 46 वर्ष पिन कोड न0 226016 मो0नं0 9415020720 के नेतृत्व मे अतिक्रमण को हटाये जाने व कुकरल नाले की तरफ से बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने हेतु पत्राचार कर सम्बन्धित विभाग में सपर्क कर प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 26.10.2025 को आवेदक द्वारा थाना गाजीपुर पर मु०अ०स० अन्तर्गत धारा 352/351 (2) बी.एन.एस बनाम अज्ञात महिला पत्नी नासिर उर्फ नसरूद्दीन उर्फ गद्दी व अन्य साथी अज्ञात मुख्य रूप से इस आशय का पंजीकृत कराया गया कि विपक्षीगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ गाली गलौज, करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है। अभियोग मे साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1. नसरूद्दीन उर्फ नासिर उर्फ गद्दी पुत्र सिरदार, 2. अफसाना पत्नी नसरूद्दीन उर्फ नासिर उर्फ गद्दी निवासीगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 31.10.2025 को आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 352/351(2) बी.एन.एस मे प्रेषित किया गया है। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत दिनांक 27.10.2025 को नसरूद्दीन उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बी.एन.एस.एस की कार्यवाही तथा अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 126/135 बी.एन.एस.एस की कार्यवाही की गयी है तथा शेरवुड कालेज के पीछे कुकरैल नदी के किनारे सेक्टर 25, इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ सिचाई विभाग/नगर निगम सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण व लोक न्यूसेन्स हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 152 बी.एन.एस.एस. प्रेषित की गयी है तथा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध मे नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को भी रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। वर्तमान मे मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी हुयी है। मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर को उक्त प्रकरण के संबंध मे सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तद्नुसार अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही हो रही है। संदर्भ हेतु फोटो व प्रपत्र संलग्न आख्या है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांक नवम्बर,23 2025

सहायक पुलिस आयुक्त
गाजीपुर लखनऊ।